<u>मा0 उच्च न्यायालय के आदेश</u>
<u>आवश्यक/महत्वपूर्ण/समयबद्ध</u>
<u>संख्या-1/2020/71/तीस-4-2020-17(सा)/2018,</u>

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 30 जनवरी, 2020

विषय :- जनहित याचिका (सिविल) संख्या-2163/2017 **We The People Thru. General Secretary Prince Lenin** बनाम **Union Of India Thru. Secy. Ministry Of Human Resource & Ors.** में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त जनहित याचिका (सिविल) संख्या-2163/2017 We The People Thru. General Secretary Prince Lenin बनाम Union Of India Thru. Secy. Ministry Of Human Resource & Ors में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.01.2020 को विस्तृत आदेश पारित किये गये हैं, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

----------On going through the guidelines prescribed by the government, we are having no doubt that at least on papers the government has taken effective steps. However, the main issue is with regard to compliance of the guidelines so given. The details of the accidents given by the petitioner in the petition for writ indicates that most of the school buses are not adhering the conditions prescribed under the order dated 20th November, 2012. No material is also placed on record to indicate that any inspection is made by any competent authority of the State to ensure compliance of the guidelines by the persons plying school buses.

In view of it, we deem it appropriate to direct the respondent Principal Secretary, Government of Uttar Pradesh, Department of Transport to instruct all the District Magistrates of all the districts in the State of Uttar Pradesh to get each and every school bus inspected to ensure their fitness as per the order dated 20th November, 2012. The inspection is required to be made with the assistance of the Officers of the Transport Department at district level. The assistance of the police authorities may also be taken by the District Magistrates.

The inspection as stated above, is required to be made as a State Level campaign and that is to be completed on or before 2nd March, 2020. In the event of noticing non-compliance of any condition prescribed, it would be open for the competent authority to take appropriate action against the bus operator in accordance with law. The District Magistrates shall submit all the inspection reports to the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Department of Transport within a period of 10 days subsequent thereto. A complete compliance report then is required to be filed before this Court on or before 21st March, 2020.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

Let this petition for writ be listed for further orders on 27th March, 2020.

The respondent no.5 is further directed to examine viability for installing tracking system in all the school buses in the meanwhile. The report in this regard is also required to be submitted before the next date of listing.

2. उल्लेखनीय है कि परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1029 सा0प्र0/98-112 टीआर/98, दिनांक 29.06.1998 एवं परिपत्र संख्या-1012 प्रावि/2012-टीकवर/2012, दिनांक 20.11.2012 द्वारा केवल स्कूल द्वारा संचालित बसों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे परन्तु स्कूली बच्चों के आवागमन में प्रयुक्त अनेक प्रकार के छोटे एवं हल्के वाहनों एवं सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत प्रदेश में स्कूली बच्चों के आवागमन में प्रयुक्त स्कूल बसों एवं अन्य छोटे वाहनों के विनियमन, इनसे होने वाली दुर्घटनाओं के निवारण तथा स्कूली बच्चों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शासन की अधिसूचना संख्या-12/2019/805/तीस-4-2019-17(सा0)-2018, दिनांक 27 मई, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करके एक नवीन अध्याय नौ-क जोड़ा गया है, जिसमें स्कूली वाहनों के लिए विशेष उपबन्ध किये गये हैं। इसे उत्तर प्रदेश मोटर यान (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 कहा गया है।

3. उक्त संशोधन नियमावली, 2019 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1239/तीस-4-2019-17 (सा0)/2018, दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को निर्दिष्ट किया गया है। उक्त शासनादेश में प्रत्येक विद्यालय में जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक ससमय कराने, स्कूलों में संचालित वाहनों की प्रतिवर्ष तकनीकी जांच, प्रत्येक विद्यालय में संचालित वाहनों के डाटाबेस तैयार करने, स्कूली यानों के चालकों के स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण कैम्प आयोजित करने, शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को वाहन में सुरक्षित रूप से चढ़ाने एवं उतारने का दायित्व संबंधित वाहन के चालक एवं परिचर द्वारा सुनिश्चित कराने के दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे।

इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1240/तीस-4-2019-17(सा0)/2018, दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को तथा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित एवं समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को पृष्ठांकित पत्र संख्या-1759/तीस-4 -2019-17 (सा0)/2018, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 द्वारा भी स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए बनायी गयी उत्तर प्रदेश मोटरयान (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 के उपबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

4. अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत जनहित याचिका में पारित आदेश दिनांक 13.01.2020 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की मूल भावना का समादर करते हुए उत्तर प्रदेश मोटर यान (छब्बीसवां संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में परिवहन एवं पुलिस विभाग के सहयोग से स्कूली वाहनों के निरीक्षण हेतु आगामी **दिनांक 02 फरवरी, 2020 से एक माह की अवधि तक** एक विशेष जांच अभियान चलाने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. कृपया अपने जनपद में प्रारम्भ उक्त विशेष जांच अभियान की समाप्ति के उपरांत इसकी निरीक्षण एवं अनुपालन आख्या निम्न निर्धारित **प्रारूप-1 तथा 2** में 10 दिनों के अंदर परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रश्नगत जनहित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में ससमय शपथ पत्र दाखिल कराया जा सके: -

प्रारूप-1

क्र0सं0	जनपद का नाम	जनपद में संचालित कुल स्कूल बसों की संख्या	जांच की गयी बसों की संख्या	नियमों के अनुरूप पायी गयी बसों की संख्या	नियमों के अनुरूप नहीं पायी गयी बसों की संख्या	उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही		जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक की तिथि
						चालान की गयी बसों की संख्या	फिटनेस निरस्तीकरण की गयी बसों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

प्रारूप-2

क्र0सं0	जनपद का नाम	जॉच की गयी बसों की पंजीकरण संख्या	क्या बस नियम के अनुरूप पायी गई ? (हॉ/नहीं)	नियमों के अनुरूप पायी गयी बसों की संख्या	नियमों के अनुरूप नहीं पायी गयी बसों की संख्या	उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही	
						चालान (हॉ/नहीं)	फिटनेस निरस्तीकरण (हॉ/नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

भवदीय,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से पृष्ठांकित कि वह कृपया उपर्युक्तानुसार निर्धारित प्रारूप में समस्त जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचना/ विवरण का समुचित अनुश्रवण करते हुए इनके आधार पर मा0 उच्च न्यायालय में शासन की ओर से दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र को तैयार कराकर शासन को उपलब्ध कराने एवं समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर इसे ससमय मा0 न्यायालय में दाखिल कराने का कष्ट करें ताकि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश दिनांक 13.01.2020 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

आज्ञा से,

आशुतोष चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।